

(क्रमांक 15 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावर्धन वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम एवं विस्तार. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जावेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा-3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
3. (1) "वार्षिक लक्ष्य :- राज्य सरकार 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को कम करने के समुचित उपाय करेगी. राज्य वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नाममात्र राजस्व अधिशेष बनाये रखने का सभो प्रयास करेगी, परन्तु किसी भी परिस्थिति में राज्य निम्नानुसार राजस्व घाटे को अधिक नहीं बढ़ावेगी :-

2005-06	-	रुपये	253.20 करोड़
2006-07	-	रुपये	168.80 करोड़
2007-08	-	रुपये	84.40 करोड़
2008-09 एवं आगे	-	रुपये	शून्य राजस्व घाटा

- (2) राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 के वास्तविक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का जितना हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक है, उसका कम से कम एक चौथाई राशि तक वित्तीय घाटा कम करेगी ताकि वित्तीय घाटा मार्च, 2009 के अंत तक जी.एस.डी.पी.के. 3 प्रतिशत से अनधिक तक लाया जा सके.
- (3) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये नई गारंटी सामान्य शर्तों पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत अथवा जोखिम भारित आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो कि सीमा से अधिक को नहीं देगी.
- (4) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार वा आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्वधीन बढ़ सकेगा."

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2006

240 (1)

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक 2773/21-अ/प्रारूपण/04. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 15 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2006)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the fifty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2006. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. For section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act (No. 16 of 2005), the following shall be substituted namely :— Amendment of section 3.
 - (1) **Annual targets :—**By the 31st day of March 2009, the State Government shall take appropriate measures to reduce the revenue deficit. The State shall make every endeavour to maintain nominal revenue surplus in each financial year beginning with 2005-06 but however, under no circumstance, the state should exceed revenue deficit as below :—

2005-06	-	Rs.	253.20 crore
2006-07	-	Rs.	168.80 crore
2007-08	-	Rs.	84.4 crore
2008-09 and after,	-		Zero revenue deficit.

- (2) The State Government shall reduce fiscal deficit every year beginning with financial year 2005-06 by an amount atleast equivalent to one fourth of what actual fiscal deficit as a percentage of GSDP exceeds 3% in the financial year 2004-05, so that fiscal deficit is brought down to not more than 3 percent of GSDP at the end of March, 2009.